[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं. 50/2019- केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2019

सा.का.नि. (अ).-- केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफ़ारिशों पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 21/2019- केन्द्रीय कर, तारीख 23 अप्रैल, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 322(अ), तारीख 23 अप्रैल, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के, द्वितीय पैरा में, प्रथम परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु जुलाई, 2019 से सितंबर, 2019 तक की तिमाही या उसके भाग के लिए उक्त **प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08** में स्वनिर्धारित कर के संदाय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करते हुए विवरण देने की देय तारीख 22 अक्टूबर, 2019 होगी।"।

2. यह अधिसूचना तारीख 18 अक्टूबर, 2019 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

[फा.सं. 20/06/07/2019-जीएसटी]

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण:- मूल अधिसूचना सं. 21/2019- केन्द्रीय कर, तारीख 23 अप्रैल, 2019, भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. संख्यांक 322(अ), तारीख 23 अप्रैल, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 35/2019- केन्द्रीय कर, तारीख 29 जुलाई, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं. 534(अ), तारीख 29 जुलाई, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, द्वारा इसमें अंतिम बार संशोधन किया गया था ।